[Shri Ravindra Varma]

violent incidents is Goa. May I know whether it is a fact that there was a total and sudden failure of power-supply in Goa on that day, and if so, whether Government are in a position to state whether that was due to sabotage or due to one of the periodical failures of power-supply from which the Union Territories suffer?

Shri Hathi: The street lights were damaged because of these violent acts.

Shri K. C. Pant (Naini Tal): May I know the total loss of foreign exchange as well as demurrage incurred on account of this strike?

Shri Hathi: I have not got the figures with me, and I would require notice for that.

12·26 hrs.

RE: SUSPENSION OF MEMBER FROM SERVICE OF THE HOUSE

(*Dr. Ram Manohar Lohia*)

Mr. Speaker: Shri Kishen Pattnayak has written to me that he wants to raise a point.: He may raise it now.

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, डा० राम मनोहर लोहिया, की कल हुई मुअत्तिली के बारे में यह प्वाइंट रेज़ करना चाहता हूं। कल की घटना जिन परिस्थितियों में हुई, उन परिस्थितियों के दो पहलू हैं—एक है संसद्-कार्य मंत्री का जुर्म और दूसरा है आपकी ज़िम्मेदारी।

जहां तक संसद्-कार्य मंत्री के जुर्म का सम्बन्ध है, वह आपको 4 दिसम्बर की प्रोसीडिंग्ज़ में मिलेगा। 4 दिसम्बर को बिज़िनेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने सदन को यह आश्वासन दिया था कि डा० लोहिया के प्रस्ताव के बारे में 7 तारीख के बाद, यानी प्रधान मंत्री के लौटने के बाद ही, तारीख तय कर दी जायेगी। सदन के सामने उन्होंने यह वचन दिया था, लेकिन इस वचन का कभी भी पालन नहीं हुआ। जब उन्होंने सदन को यह वचन दिया था तो उस वचन का पालन करवाने की ज़िम्मेदारी कुछ हद तक आप की भी है।

तो संसद्-कार्य मंत्री का जुर्म और आपकी ज़िम्मेदारी, इन दोनों में सम्बन्ध रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने सदन को ठीक ढंग से चलाया होता और संसद्-कार्य मंत्री ने जो वचन दिया था, उसको अमल में लाने के लिये उनको मजबूर किया होता, तो कल की घटना न होती। कल जो घटना हुई, उसकी बुनियाद इस किस्म की है।

मैं चाहता हूं कि आप इस दृष्टि से कल की घटना को देखें और यह समझ कर कि इसके पीछे संसद्-कार्य मंत्री का ही जुर्म है, कल की मुअत्तिली को कैंसल करें और संसद्-कार्य मंत्री से कैफ़ियत मांगें।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक संसद्-कार्य मंत्री का ताल्लुक है, उस का जवाब तो गवर्नमेंट देगी। क्या मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : जी हां।

अध्यक्ष महोदय: जहां तक मेरा सम्बन्ध है, वह मैंने कल ही रोशन कर दिया था। मैंने कल भी समझाने की कोशिश की थी कि ये दोनों बातें बिल्कुल अलाहदा हैं। कल जो फ़ैसला लिया गया, वह इस हाउस का है—मेरा नहीं है। और न यह ज़िम्मेदारी मुझ पर आती है कि जो एशोरेंस दी गई है, मैं गवर्नमेंट को कहूं कि वह इसको फ़ौरन पूरा करे। कमेटी के सामने वह प्रस्ताव गया और मैंने सुना है कि उसने उसको कंसिडर भी किया है। मिनिस्टर साहब जो बयान देंगे, उससे पता चल जायेगा कि क्या वाक़यात हैं।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप गृह मन्त्री को बुलायें, आप मेरा भी निवेदन सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सिर्फ माननीय सदस्य, श्री पटनायक, को इजाजत दी थी ।

श्री रामसेवक यादव : आपने कुछ कहा है, मैं उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कहूंगा, क्या उस पर बहस चलेगी ?

श्री रामसेवक यादव : बहस नहीं, मैं उस पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं, ताकि उस की जानकारी भी हो जाये ।

यह मसला काफ़ी दिनों से चल रहा था जब से यह सत्र शुरू हुआ, तब से चल रहा था । बराबर यह सवाल इस सदन में उठता रहा । आप के और माननीय सदस्य, डा० लोहिया, के बीच में जो वार्ता होती थी, वह तो होती थी, सदन में भी वह चर्चा उठती थी । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और आपके दरमियान जो बातचीत हुई, जिस तरह से वह प्रस्ताव गया और उसमें हेर-फेर हुए और संसद्-कार्य मन्त्री, श्री सत्य नारायण सिंह, ने जो आश्वासन दिया, इन सब बातों को जब इकट्ठा किया जाता है, तो उसका यही अर्थ होता है कि अध्यक्ष महोदय, लोक सभा और संसद्-कार्य मन्त्री इन तीनों की करीब-करीब यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे उस प्रस्ताव पर बहस करायें ।

मैं आप से विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि कोई मन्त्री इस सदन में खड़े हो कर कोई आश्वासन दे, उस पर चर्चा चलाने की बात करे तो उस आश्वासन को पूरा किया जाना चाहिए । आखिर अगर सच और झूठ में कोई भेद नहीं होगा, तो बहस चलाने का कोई अर्थ नहीं होता है । उस आश्वासन के बाद आपका भी कर्त्तव्य होता है, जितने संसद्-सदस्य यहां पर हैं, उनका भी कर्त्तव्य होता है कि उस आश्वासन पर अमल किया जाये, ताकि इस तरह की अनहोनी घटना न घटे । सिर्फ़ यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है । मैं जानता हूं कि आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका भी कर्त्तव्य है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री किशन पटनायक ने जो आखिरी निवेदन आप से किया है कि श्री लोहिया के बारे में जो सस्पेन्शन आर्डर है उस को हटा लिया जाये, उसके सम्बन्ध में मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि कल जसी सारी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, हो सकता है उसमें हम लोगों से कोई गलती हुई है । क्योंकि मैं आपके निर्णय के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन श्री नाथपाई ने जो कुछ कहा और उसके बाद गृह मन्त्री जी ने एक बयान दिया, उसके बाद मेरा खयाल था कि हम लोग अगर जल्दबाजी न करते और डा० लोहिया को समय दे दिया जाता और वह गृह मन्त्री जी की बातों पर विचार करते तो शायद यह अनहोनी घटना जो हुई, न होती । इसलिये मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने फैसले पर दोबारा गौर करें तो . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस बात की कोई जरूरत नहीं है । कल भी श्री यादव ने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किये थे जिन को मैंने बहुत महसूस किया था, वह मुझ पर रिफ्लेक्शन कर रहे थे । आज भी, गो डाइरेक्टली नहीं, इन-डाइरेक्टली ऐसी बातें लाई जा रही हैं और ठहराया जा रहा है कि इसमें मैं कुसूरवार हूं । अगर मैं इन्साफ से चलता तो शायद यह घटना

[अध्यक्ष महोदय]

न होती। अगर मेरे ख़िलाफ कोई शिकायत है तो सिर्फ निकालने की नोटिस से हो सकती है। बाकी चीज मैं यहां अलाऊ नहीं कर सकता कि उस पर कोई नुक्ताचीनी की जाये। अगर मेरा फैसला गलत है, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि गलती कुछ हो सकती है I said the other day that the finality of my decision does not flow from its correctness; the correctness is the result of its finality. There is nothing more that can be said about it. मैंने कल भी अर्ज किया कि सब कुछ गलत हो यह मान लिया जाये और सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है यह भी मान लिया जाये मेरी गलती हो, फिर भी किसी मेम्बर को हक नहीं कि वह कहे कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। इस वास्ते बाकी चीजों को छोड़ कर, गलतियों को तसलीम करके उन को मान कर के, जो फ़ैसला है उस मेम्बर के सम्बन्ध में, जिसका यह एटिट्यूड है, वह दुरुस्त है। उसमें कोई निगरानी या नजरसानी या तबदीली नहीं की जा सकती। होम मिनिस्टर साहब...

श्री रामसेवक यादव : मैं सफाई देना चाहता हूं। मुझे मौका दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

श्री नन्दा : बड़े खेद की बात है कि इस किस्म की बातें यहां घड़ी घड़ी उठाई जाती हैं। पहली बात मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि हम किसी बहस से डरने वाले नहीं हैं, कोई चीज हमारे लिये छिपाने की नहीं है। हर एक चीज का हम मुकाबला कर सकते हैं। और जवाब दे सकते हैं।...

(*Interruptons*)

अध्यक्ष महोदय : अब आप उनको जवाब तो देने दीजिये। मैंने उनसे कहा है कि वह जवाब दें। आप नहीं चाहते कि वह बोलें तो मैं उनको बिठला दूंगा। (*Interruptions*) अगर आप नहीं सुनना चाहते...

Shri M. R. Krishna (Poddapalli): We would like to hear.

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन): वह नहीं सुनना चाहते तो आप उनसे कह दें कि बाहर चले जायें।

श्री नन्दा : लेकिन अगर किसी चीज का जवाब देना है तो वह किसी तरीके से होना चाहिये और मुनासिब बात होनी चाहिये। अगर किसी चीज का जवाब देना है तो जवाब किसी रूल के मुताबिक होना चाहिये। लेकिन जो कुछ यह कह रहे हैं उसके लिये आधार यह बना रहे हैं कि कोई वचन दिया गया था और उसका पालन नहीं हुआ। तो मैंने देखा है प्रोसीडिंग्स में कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब यहां नहीं थे उस वक्त सवाल उठाया गया जिस का सम्बन्ध प्राइम मिनिस्टर साहब से था। उस वक्त मिनिस्टर आफ पार्लियामेंटरी अफेअर्स ने कहा था कि "जब वह आयेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा और पूछ कर जवाब दूंगा कि क्या होना चाहिये।"

श्री किशन पटनायक : झूठ बोल रहे हैं।

श्री रामसेवक यादव : आप पूरा पढ़ दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बुरी बात है। कैसे माननीय सदस्य इस तरह से कह सकते हैं।

श्री किशन पटनायक : उन्होंने गलत बात कही।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये। बहुत बुरी बात है एकलख्त कूद पड़ना और कहना कि झूठ बोल रहे हैं। (*Interruptions*).

श्री किशन पटनायक . . . . . .यह सदन का अपमान कर रहे हैं, इतनी गलत-बयानी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा खयाल है कि इस तरह से बात करना . . . . .

श्री किशन पटनायक : वह मंत्री हैं . . . . .

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : उन्हें उसे वापस लेना चाहिये।

Shri Vidyacharan Shukla (Mahasamund): He must take back these words.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री पटनायक को मश्वरा दूंगा कि इस 'झूठ' शब्द को वापस ले लें। जिस चीज़ को इतनी तेजी से कहा उसे वह वापस ले लें।

श्री किशन पटनायक : मैं "झूठ" तो वापस लेता हूं और उसके बदले "असत्य" कहता हूं। घोर असत्य बात उन्होंने कही है।

अध्यक्ष महोदय : बड़ा अजीब एटिट्यूड का। अगर आप किसी इरादे से आये हैं तो मुझे अफसोस है . . . . .

श्री किशन पटनायक : कोई इरादा नहीं है, आपको इरादे की बात करनी ही नहीं चाहिये।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि कल जो शब्द मैंने कहे वह इसीलिये—, अगर आप इजाजत दें तो कहूं, नहीं तो मैं बैठा जा रहा हूं—मैं थोड़ी सी सफाई दे दूं इस सिलसिले में कि कल जब माननीय डा० लोहिया का प्रश्न उठा तो जिस तरह से यहां पर कोई प्रश्न उठता है तो दूसरे सदस्य भी बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, सिर्फ उस के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था, और आपकी तरफ से आया कि 'सलाह कर लीजिये किसको करना है"। इससे मेरे ऊपर यह असर पड़ा कि जैसे हम लोग कुछ तय करके आये हैं और यहां तय कर रहे हैं कि पहले डाक्टर साहब करेंगे फिर मैं करूंगा। अगर आपके दिल पर यह असर पड़ा हो तो मैं इसे साफ कर देना चाहता हूं कि यह नितान्त भ्रामक बात थी। मेरे मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अगर मेरी इस बात से आपके ऊपर कोई आक्षेप आया है तो मुझे भी इसके लिये अफसोस है। फिर आज जो कुछ मैंने कहा वह इस जानकारी के आधार पर कहा कि जो कुछ आपके और माननीय सदस्य के बीच हुआ उससे शायद यह चीज़ हल हो जायेगी। आप पर आक्षेप करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन जब एक गृह मंत्री, जिन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, कोई बात कहते हैं और बतलाते हैं कि यह कार्रवाई है संसद् की और उसको ठीक से पढ़ कर नहीं सुनाते . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये। मुझे अफसोस है इस बात का कि हम लोग ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं चला रहे हैं। जब हम डिमाक्रेसी चला रहे हैं तो हमें पेशन्स से और फोरबेअरेंस से काम लेना है। दयानतदारी से दो सदस्यों के बीच मतभेद हो सकता है। एक अगर कहे कि वचन भंग किया गया है और दूसरा कहे कि वह ऐसा नहीं समझता तो दोनों दयानतदारी से कह सकते हैं। इस पर फौरन एक सदस्य कूद पड़े और कहा कि यह झूठ है, यह डेमाक्रेसी का उसूल नहीं।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने झूठ वापस ले लिया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि झूठ नहीं तो असत्य है। बाकी जब आपने अपना एक्स्प्लेनेशन दिया तो मैं भी देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि श्री राम सेवक यादव ने

[अध्यक्ष महोदय]

अपनी सफाई कर दी । लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो कुछ मैंने आंखों से देखा-- अगर मेम्बर व्हिसपर करते हैं तो आवाज मुझ तक पहुंच जाती है--मैंने अपनी आंखों से देखा और डाक्टर साहब को सुना, जब कि एक मेम्बर खड़े हो कर उस समय बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने कहा कि आप बाधा डाल रहे हैं, वह कह रहे थे कि मुझ करने दीजिये । उन्होंने मेरे सामने कहा । तभी मैंने कहा । मुझे इस बात के लिये कुसूरवार ठहराया जा रहा है कि मैंने कहा कि आप सलाह कर लें कि किसे करना है । जो कुछ मैंने आंखों से देखा और कानों से सुना उन वाकयात से इन्कार किया जाय और नाराजगी जाहिर की जाये कि मैंने कुछ ज्यादती की है, तो मुझे अफसोस है कि आप इसको इस माने में लेते हैं । आपने जो कहा उस पर मुझे तसल्ली है । आपके मन में जो था उसको मैं स्वीकार करता हूं कि आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था । यह तो पहला उसूल है कि जो चीज़ सामने हो उसको दो तरह से समझा जा सकता है । दोनों दयानतदार बन कर एख्तलाफ राय कर सकते हैं । एक को आप स्ट्रांगली कहते हैं कि यह वचन भंग किया गया है जो इकरार किया था, ऐश्योरेंस दिया था, उसको तोड़ा है । हो सकता है कि गवनमेंट ऐसा न समझती हो और दयानतदारी से न समझती हो । यह जरूरी नहीं कि उसमें बदनियती या झूठ बोलने की बात हो । हमें सब्र से सुनना चाहिये कि वह क्या कहते हैं, उसके बाद उसे देखा जा सकता है ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, उनके बारे में .....

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये ।

श्री मधु लिमये : मैं गृह मंत्री महोदय की नियत पर शक नहीं कर रहा हूं । मैं आप के द्वारा उनसे इतना ही अर्ज कर रहा हूं जो कार्रवाई हुई उसे ठीक से पढ़ें ताकि क्या सही है और क्या झूठ है इस का पता चले ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हमेशा यही बात रहेगी कि मेम्बर जितना चाहें उतना बोल लें तब मुझे इजाजत हो कि मैं कार्रवाई चला सकूं ।

श्री नन्दा : उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी कहा हो, मैं उन पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाता कि जो सवाल उन्होंने पूछा उसमें बदनियती थी । मैं मान कर चलता हूं कि उन्होंने अपने ढंग से समझा कि शायद इसमें वचन भंग हो गया । मेरे हाथ में यह प्रोसीडिंग्स थीं । मैंने उसका एक हिस्सा तो पढ़ा और दूसरे हिस्से के बारे में कहने वाला था लेकिन उन्होंने सुना नहीं । सत्य नारायण जी का जवाब था "लेकिन जिनसे यह सवाल सम्बन्धित है वह इस समय हिन्दुस्तान में भी नहीं है" मैं उनके शब्दों को पढ़ रहा हूं, यह उन की राय है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं "इतनी अक्ल तो होनी चाहिये कि इन सवालों का जवाब प्रधान मन्त्री के आने पर दिया जा सकेगा । उन को यह समझना चाहिये कि जब वह यहां नहीं हैं तो तो ऐसा सवाल न उठाया जाये ।"

यह चीज़ पहले कही गई है । अब उसके कुछ बाद की बात मैं कहे देता हूं । फिर और कुछ बातें हुईं । उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधान मन्त्री जी सात तारीख़ को आने वाले हैं, उनसे पूछ कर और उनकी सहूलियत के अनुसार इसके लिए कोई तारीख़ निश्चित् कर दी जायेगी । सवाल यह है कि उनसे पूछा जाना है । अब उसमें यह तो मैंने कहा कि आप अपना अर्थ निकाल सकते हैं लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका आधार यह है कि जो कुछ प्रोसीडिंग हुई उसको साथ लेकर मैं उनसे यह कह रहा हूं कि मैं प्रधान मन्त्री जी से पूछूंगा । बाक़ी उनकी सहूलियत की बात थी कि उन्हें क्या चीज़ महसूस होती है और यह कि इस के बारे में उन्हें किसी किस्म का जवाब देना है या नहीं देना है ।

उसके बाद मैं यह अर्ज़ कर दूं कि जो वाक़यात हुए उसके बाद मिनिस्टर ऑफ़ पार्लियामेंटरी एफेयर्स ने प्राइम मिनिस्टर साहब को पूछा, उनसे इस बारे में मशविरा किया। जो उनसे सलाह मशविरा हुआ उसका नतीजा यह हुआ कि स्पीकर साहब को एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें यह बतलाया गया और उस किस्म की बात यहां भी हुई थी सदन में उसमें तीन सवाल उठते हैं। एक है जीप के बारे में तो उसका भी एक रेजोलूशन हो गया। जीप का विषय प्रस्ताव के रूप में आ गया है इसलिए वह चीज़ रहती नहीं। दूसरी बात वह थी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मिनिस्टर्स लोगों को देहात में ठहरना चाहिये और वे देहातों में जायं तो उस बारे में भी मैंने जवाब दिया था। उस बारे में 15 मिनट का समय दिया गया था और दोनों तरफ़ के माननीय सदस्यों ने सवाल पूछे थे और उनका जवाब दे दिया गया था तो इस तरह से वह मामला भी ख़त्म हुआ। तीसरी बात कुछ कंट्रैडिक्शंस के बारे में थी जो कि चीन के बारे में थी। अब उसके लिए पूछा गया कि चीन के बारे में क्या कंट्रैडिक्शंस हैं तो कुछ मालूम नहीं हुआ। इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहलवाया कि उन्हें तो कोई कंट्रैडिक्शन नजर नहीं आता इसलिए कोई चीज़ जवाब देने की नहीं है।

अब एक बात मैं ज़रूर कहता हूं और वह यह कि मैं टैकनिकल ग्राउण्ड पर कोई स्टैण्ड नहीं लेना चाहता। अगर कोई चीज सदन को बतलाने के काबिल है, आवश्यक बात है तो उसको बतलाने से मैं हरगिज परहेज नहीं करूंगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब आयें, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे इस बारे में स्टेटमेंट कर दें ताकि जो कुछ कहना हो वह आप को मालूम हो जाय।

श्री किशन पटनायक : मामला इससे साफ़ नहीं हुआ।

श्री मधु लिमये : क्या इसी सत्र में... (इंटरप्शंस)

अध्यक्ष महोदय : कितने आदमी बोलेंगे ? सब बैठ जायं।

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): Sir, yesterday this question was discussed in the sub-committee of the Business Advisory Committee as to whether this Resolution has to be given preference and it was decided that this should get preference out of the three resolutions that we took up in the sub-committee. Since there was a discussion in the House about the jeep, it was felt that it need not be included in the Resolution. That was our recommendation and it is up to the Government to fix a time.

Shri Nath Pai (Rajapur): Yesterday, when an important matter was referred to by Prof. Mukerjee as to when the House as a whole will be concerned with matters like the one with which we were faced yesterday and if the Prime Minister we are told he is the Leader of the House—is not present who will be officiating? This is the second occasion when very serious events have taken place and the House has felt a little embarrassed. I think Mr. Nanda is officiating. Will the Party make up its mind or is it a secret to be announced after six months as they did before? Has the Party taken any decision as to who is to be the deputy leader to officiate as Leader of the House? The House is entitled to know this. This is not a party matter.

Secondly, he has pointed out to one aspect of this statement of the Minister of Parliamentary Affairs. If I recall—you too will recall Mr. Speaker—on Friday last the Minister of Parliamentary Affairs in reply to a question on the same matter which has now been raised by Mr. Pattnayak, said that it was for the Business Advisory Committee. This lacuna has not been explained. Sometimes it is the Prime Minister's convenience; at other times it is the Business Advisory Committee. What step did he take to get the consent of the Business Advisory Committee?

Mr. Speaker: That was the confusion there; it is not the Business Advisory Committee that deals with it; it is the sub-committee.

Shri Nath Pai: May I know? Will a reply come to my questions?

Mr. Speaker: Yes. Mr. Banerjee.

Shri S. M. Banerjee: The hon. Home Minister has stated that after consulting the Prime Minister, he will let us know. Most probably, the Prime Minister is going to make a statement on the same point. It may not be the jeep; it may be other things. I have a request that on the day on which the Prime Minister makes a statement, with your special permission, Dr. Lohia may be permitted to come here and explain his position......

Shri Priya Gupta (Katihar): I want to know whether Mr. Satya Narayan Sinha would say finally when the matter will come up before the House. That is the same point raised by Mr. Nath Pai. My point is that the word used is *sahuliyat*: it is not an adjunct to whether he will at all reply or not; it is an adjunct to on which date he will reply. He may kindly refer to that Hindi word and get the clarification. I want this clarification.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा गृह मन्त्री जी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या इस सत्र की समाप्ति के पहले यह मसला आयेगा ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, संसद एक परिवार है जिसके कि सबसे बड़े संरक्षक आप हैं । इस परिवार के कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनके पास संख्या की सम्पत्ति अधिक है, कुछ सदस्य इस प्रकार के हैं जिनके पास संख्या की सम्पत्ति कम है इसलिए स्वाभाविक रूप से उस परिवार के संरक्षक होने के नाते आप की सहानुभूति उन सदस्यों के साथ होनी चाहिए जिनके पास संख्या की सम्पत्ति कम है । उस के लिए हम आप के आभारी हैं । परन्तु यदि कभी कम गिनती वाले सदस्यों की ओर से कोई अपनी दुर्बलता के कारण ऐसी घटना हो जाय कि जिस घटना के कारण आपके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़े और देर तक आपके मस्तिष्क को वह घटना उद्वेलित करती रहे और सदन को भी उद्वेलित करती रहे तो उसके लिए मैं अपने सहयोगियों की ओर से आप के सामने उस भूल को स्वीकार करता हूं । मैं स्वयं उन सदस्यों में हूं जो इस बात से कभी सहमत नहीं हो सकते कि इस प्रकार के शब्द कहे जायं कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जायगी । कल भी मैं इससे सहमत नहीं था और आज स्पष्ट रूप से पुनः इस बात को कह भी रहा हूं । परन्तु इतना सब कुछ होने के बाद जो घटना कल घटी और जिस ढंग से वह चर्चा का विषय बनी, मेरा अपना अनुमान है कि श्री किशन पटनायक के इस प्रस्ताव के आने के बाद गृह मन्त्री महोदय को उन के सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए था कि डा० लोहिया की मुअत्तिली की सजा आज तक के लिए ही रख कर आप उसको हटा देते । इसमें जो दुर्बलता आ रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं यह अनुभव करता हूं कि पहले प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू जब संसद् का अधिवेशन चलता था तो बराबर यहां उपस्थित रहते थे । संसद को वह सबसे अधिक प्रमुखता देते थे । लेकिन मुझे दुःख है कि जब संसद् चल रही है तो हमारे प्रधान मन्त्री इन दिनों बाहर हैं । अभी गृह मन्त्री जी ने जैसे कहा कि मैं प्रधान मन्त्री जी से यह कहूंगा कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें तो मेरी जहां तक जानकारी है 24 तारीख तक तो प्रधान मन्त्री जी यहां आने वाले नहीं हैं जबकि 24 तारीख को संसद का सत्र समाप्त हो जायेगा तो प्रधान मन्त्री जी इस सम्बन्ध में वक्तव्य अगर देंगे तो कब देंगे ? क्या गृह मन्त्री जी प्रधान मन्त्री जी को टेलीफोन करेंगे कि वे यहां दिल्ली में 24 तारीख से पहले पहले आकर सदन को अपना वक्तव्य दें ? मेरा कहना है कि सरकार को इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से बचना नहीं चाहिये । ससद् की सर्वश्रेष्ठता लोकतन्त्र को बनाये रखने में ही है और उसका हमें बराबर पालन करना चाहिए ।

(Interruption)

अध्यक्ष महोदय : बस मैं अब इस से अधिक और न सुनूंगा । क्या मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री किशन पटनायक : अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं मिला है

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री किशन पटनायक : मैं फिर कहूंगा कि उसके बारे में सफाई हो जानी चाहिए क्योंकि अगर वह नहीं होती है तो फिर यह सदन के साथ एक मज़ाक हो जायेगा ।

Shri Nanda: I would like to convey to the Members of the House that the Prime Minister will be present here on the 24th, and therefore, that difficulty which is being anticipated by the hon. Members does not arise. Whatever the Prime Minister will like to do, can be done on that day.

श्री किशन पटनायक : मेरी बात का जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मेम्बर साहबान को यह साफ़ कर देना चाहता हूं कि इस तरह से नहीं चल सकता है ।

श्री किशन पटनायक : इस तरह से सदन भी कैसे चल सकता है ? इस सदन में जो वचन दिया जाता है, क्या उसका कोई वज़न और मूल्य ही नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा कि ....

श्री किशन पटनायक : मेरी बात का जवाब दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को तीन बार कह चुका हूं, लेकिन वह फिर भी रुकावट डाल रहे हैं ।

श्री किशन पटनायक : संसद्-कार्य मंत्री ने जुर्म किया है—वचन देकर उसको निभाया नहीं है । उस का क्या होता है ? उन्होंने सदन के सामने वचन दिया है । इस प्रकार तो सदन का कोई मतलब नहीं रहता है । उसके साथ मज़ाक हो जाता है, अगर एक मंत्री इस सदन में वचन देकर उस को पूरा न करे । इस बात का जवाब दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य, श्री किशन पटनायक, से कहता हूं कि वह सदन से बाहर चले जायें ।

श्री किशन पटनायक : यह सदन के साथ मज़ाक किया जा रहा है ।

(Shri Kishen Pattnayak then left the House)

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि यह सारी घटना समाचारपत्रों में नहीं आनी चाहिए । *(Interruptions)*.

अध्यक्ष महोदय : एक दो बातें मैंने भी कहनी हैं ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, और कुछ नहीं ।

मैं इस हाउस को एक दो बातें और कहना चाहता हूं । एक तो यह है कि मेरे फ़ैसले के बावजूद श्री बनर्जी ने यह सवाल उठाया कि मुअत्तिली में कोई फ़र्क किया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने यह नहीं कहा । मैंने कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दें, तो आप डा० लोहिया को भी स्टेटमेंट देने की स्पेशल परमिशन दें ।

अध्यक्ष महोदय : तो यह और क्या हुआ ? शायद मेरे लफ्ज़ कमजोर हों ।

श्री स० मो० बनर्जी : समझने में गलती हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : कल का फ़ैसला हाउस

[अध्यक्ष महोदय]

का है। मैं उसमें तब्दीली करने में असमर्थ हूं। अगर माननीय सदस्य इस हाउस को रिग्रेट करें, तो यह हाउस सोच सकता है और मैं इसके सामने इसको पेश कर सकता हूं, लेकिन अगर वह रिग्रेट न करें, तो मैं कुछ नहीं करूंगा।

श्री मधु लिमये : संसद्-कार्य मंत्री ने जो अपना वचन पूरा नहीं किया है, वह उसके लिए रिग्रेट करे।

श्री रामसेवक यादव : श्री सत्य नारयण सिह को भी खेद प्रकट करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा सवाल यह उठाया गया है कि मंत्रियों की हाज़िरी यहां नहीं होती। कई दिन से मेरे मन में यह ख़याल है कि मंत्रियों की हाज़िरी यहां ज्यादा ज़रूरी है।

Shri Nath Pai: The Leader of the House also.

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है कि सरकारी काम के लिए, स्टेट विज़िनेस के लिए, मंत्रियों ने बाहर जाना है। (*Interruptions*).

श्री हुकम चन्द कछवाय : उद्‌घाटन और भाषण करने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता। सब मेम्बर साहबान और ख़ुसूसन गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहबान इस पर सोच लें—मैं कोई फ़ैसला नहीं दे सकता हूं, मैं सिर्फ़ एक सजेस्टियन दे रहा हूं—कि अगर पार्लियामेंट इन सेशन हो, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार, कम से कम हाफ डे, ये जो साढ़े चार रोज़ होंगे, इनमें कोई मिनिस्टर बाहर न जाये। (*Interruptions*)

यह मैं सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूं। यह कोई रूल नहीं है। किसी वक्त स्टेट का विज़िनेस हो सकता है और बाहर जाना जरूरी हो सकता है। तो वह शुक्रवार आफ्टरनून को बार चला जाये, वह शुक्रवार, शनिवार और इतवार को बाहर रहे लेकिन सोमवार को यहां आ जाये। लेकिन इसकी एक करोलरी भी है—एकबड़ी शर्त यह है कि जब पार्लियामेंट का सेशन हो, तो उसमें कोई छुट्टी न आए। ये पांच दन हम जरूरबैठें और शनिवार और इतवार जरुर छुट्टी हो। अगर हाउस इस बात को एपरूव करे और गवर्नमेंट समझे कि वह इस तरह काम कर सकती है, तो आइन्दा ऐसी तकलीफ़ नहीं होगी।

मैं कई दिन से यह सोच रहा था कि मैं हाउस के सामने यह तजवीज़ रखूं। मैंने यह महसूस किया है कि मिनिस्टर्ज़ स्टेट विज़िनेस के लिए बाहर जाते हैं और उनको जाना पड़ता है, लेकिन उनको टाइम फ़िक्स करना चाहिए। जब पार्लियामेंट चलती है, तो किसी भी वक्त कोई क्वैश्स्टियन उठ सकता है। मैंने देखा है कि कई बार कालिंग एटैन्शन नोटिस भी इसलिए बहुत देर तक पड़े रहते हैं कि मिनिस्टर साहब बाहर हैं। इसकी जवाबदारी मुझ पर आती है और मुझ पर नुक्ताचीनी होती है। मिनिस्टर साहबान सोच लें।

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): The House agrees, let the Government say what they think.

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको वक्त दूंगा।

Shri Surendranath Dwivedy: We welcome this. We want the Government to agree.

Shri Ranga (Chittoor): They cannot disagree. (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order. I have just put in a suggestion, so that the Government and Parliament will consider it.

Shri Surendranath Dwivedy: Have we nothing to say in this matter, Sir?

Mr. Speaker: I want them to consider it.

Shri Nath Pai: Mr. Speaker, Sir, you promised me that Shri Nanda would answer my question. Modest as he is, nobody would accuse him of usurping the office of Deputy Leader of the House, and therefore, is he officiating or not? We are entitled to know it.

Shri Nanda: The answer to the question has to be given by the Prime Minister. But it may be that the answer may need a little time for consideration. Therefore, the question whether anybody is officiating or not does not arise in this case. What you have stated, Sir, certainly deserves my respectful consideration.

Shri Ranga: One question was put by Shri Nath Pai. I thought you were going to give the answer—that is what you said—and then it appeared that the Minister was going to give the answer.

Mr. Speaker: He said that that also requires some consideration.

Shri Ranga: We reckon it this way: the Prime Minister comes first and then there is a second Minister, and then there is a third Minister. They have got their own order; they come in that order. One would expect that in the absence of the Prime Minister, the second man would officiate on his behalf and face the House here. Otherwise, the House would be without any leader at all. Therefore, may I take it that the second Minister—I do not know if it has been notified that way, that after the Prime Minister, there is a second Minister—is the acting Leader?

Mr. Speaker: They will consider.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): One pertinent question was put by Shri Nath Pai. I think that question may not be answered perhaps for the reasons which the Minister mentioned now, or explained now, but still, the pertinency of the point raised is there. Can this House have its proceedings conducted in the absence of the Leader of the House? Someone as Leader of the House must be present, whether he is leader or officiating leader. The presence of the Leader of the House is essential for the conduct of the proceedings of this House. Therefore, it should be noted that at all times there must be some indication as to who is the Leader of the House?

Mr. Speaker: That is a matter which they will consider.

12.56. hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION (THIRD AMENDMENT) RULES

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): On behalf of Shri A. K. Sen, I beg to lay on the Table a copy of the Khadi and Village Industries Commission (Third Amendment) Rules, 1964, published in Notification No. S. O. 4080 dated the 28th November, 1964, under subsection (3) of section 26 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956. [*Placed in Library. See* No. LT-3688/64.]

ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS OF INDIAN AIRLINES CORPORATION AND AIR-INDIA, 1963-64.

The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(1) Annual Report of the Indian Airlines Corporation, for the year 1963-64, under sub-section (2) of section 37 of the Air Corporations Act, 1953. [*Placed in Library. See* No. LT-3689/64.]

(2) Annual accounts of the Indian Airlines Corporation for the year 1963-64 and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 15 of the Air Corporations Act, 1953. [*Placed in Library. See* No. LT-3690/64.]

(3) Annual Report of the Air India for the year 1963-64, under sub-section (2) of section 37 of the Air Corpora-